



# SUSTAINABLE DEVELOPMENT G ALS





उत्तराखण्ड सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेन्स उत्तराखण्ड

## © 2020

#### प्रकाशक

उत्तराखण्ड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गर्वर्नेस, नियोजन विभाग।

## अवधारणा, प्रलेखन एवं चित्रण

#### श्री करूणाकर सिंह

एस०डी०जी० एकीकरण एवं स्थानीयकरण विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गर्वर्नेस, नियोजन विभाग।

#### श्री जे0 सी0 चन्दोला

शोध अधिकारी, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान।

#### संपादन

## डा0 मनोज कुमार पंत

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गर्वर्नेस, नियोजन विभाग।

#### चित्र साभार: ILSP

#### मुद्रक

#### प्रिंट विज़न

दूरभाषः 0135 2741702

ईमेल: printvisionddn@gmail.com वेबसाईट: printvisionindia.com





त्रिवेन्द्र सिंह रावत माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

## संदेश

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित 17 सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) के अन्तर्गत 169 उपलक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए 193 देशों के साथ भारत द्वारा भी प्रतिबद्धता जताई गई है। "सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास" सिद्धान्त के आधार पर उत्तराखण्ड प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों के माध्यम से प्रदेश में सभी आयामों की गरीबी समाप्त करने, भूखमरी का अन्त करने, संवहनीय स्वास्थ्य व तन्दुरूस्ती, लैंगिक समानता, गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ उर्जा, आर्थिक असमानताओं को कम करने, अवस्थापना विकास के साथ सतत पर्यावरणीय संवहनीयता व समाज के सभी वर्गों में शान्ति व न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी वर्गों का विकास करने हेत् प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उत्तराखण्ड विजन-2030 का निर्माण किया गया है। लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतू (C2N) समन्वयन, युत्तिकरण तथा नेटवर्किंग (Coordination, Convergence & Networking) मॉडल के अनुसार सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs), शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, अकादिमयों तथा बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी के साथ-साथ एस०डी०जी० स्थानीयकरण हेत् ग्रामीण एवं नगरीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों को जोड़े जाने का प्रयास किया जा

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस (सी०पी०पी०जी०जी०) व बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान (टी०पी०पी०) द्वारा एस०डी०जी० उपलक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु चिन्हित संकेतकों का प्रारूप / फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। राज्य स्तर से ग्राम पंचायत तक संकेतकों की पहुँच बनाने के सम्बन्ध में हिन्दी भाषा में पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है जिसमें 17 लक्ष्य के 169 उपलक्ष्य तथा संकेतक चिन्हित है साथ ही संकेतकों को हासिल करने हेतु योजनाओं की मैपिंग भी की गई है। इस कार्य हेतु सचिव, नियोजन व उनके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।

आशा है कि प्रकाशन सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रशासकों / अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सुधिजन पाठकों तथा आम जनमानस के लिए सार्थक सिद्ध होगी। पुस्तिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकानाएं।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत) मख्य मंत्री।



अमित सिंह नेगी, आई.ए.एस. Amit Singh Negi, I.A.S.

#### सचिव Secretary

उत्तराखण्ड सचिवालय Uttarakhand Secretariat 4, सुभाष मार्ग, देहरादून 4, Subhash Road, Dehradun

## प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार सतत् विकास लक्ष्यों को त्विरत और समावेशी ढंग से प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चूंकि सतत् विकास एक वैश्विक एजेण्डा है, जिसका लगभग पूरे विश्व में कार्यान्वयन किया जा रहा है। अतः सतत विकास फ्रेमवर्क का स्थानीयकरण एक महत्वपूर्ण कदम है, स्थानीकरण की प्रक्रिया में सतत् विकास लक्ष्यों तथा उप—लक्ष्यों तथा संकेतकों का हिन्दी में विवरण तैयार करने हेतु सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गयी पुस्तिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो एक संदर्भ पुस्तिका तथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, जिसका एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में पंचायतों तथा शहरी निकायों के स्तर पर इन विकास लक्ष्यों को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इस पुस्तिका की अवधारणा, प्रलेखन, चित्रण तथा सामग्री के प्रस्तुतिकरण को रूचिकर बनाने के लिए मैं डॉ० मनोज कुमार पंत, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीमती गीतांजली शर्मा गोयल, उपनिदेशक, श्री करूनाकर, एस०डी०जी० स्थानीकरण विशेषज्ञ, श्री जे०सी० चन्दोला, चीफ कॉटोग्राफर, बीस सूत्री कार्यक्रम द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका सरकार के विभिन्न विभागों, जनपद, विकासखण्ड तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सतत् लक्ष्यों पर समग्र जानकारी प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

> (अमित सिंह नेगी) सचिव।



डॉ. मनोज कुमार पंत Dr. Manoj Kumar Pant उत्तराखण्ड सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुडगवर्नेस विश्वकर्मा भवन, सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग, देहरादून

## आभार

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सभी सदस्य राष्ट्रों हेतु वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) का एजेंडा अंगीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एस०डी०जी०) के अन्तर्गत 2030 तक आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय संवहनीयता को बनाये रखने हेतु गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करते हुए समृद्धि प्राप्त करने तथा न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित व्यवस्था बनाये जाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसी दिशा में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु उत्तराखण्ड विजन—2030 के अनुसार महत्वपूर्ण संकेतकों का चयन करते हुए जनपदवार सतत् विकास सूचकांक बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, तािक विकास कार्यों में प्रदेश के अन्दर जनपदों की प्रगति का प्रदर्शन किया जा सके।

राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु ग्रोथ डाईवर चिन्हित किए गए हैं जिसमें मुख्य रूप से जैविक कृषि एवं बागवानी, पर्यटन विशेषकर साहिसक तथा ईको टूरिज्म, आयुष, वानिकी व जल विद्युत ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रमुख है। एम०एस०एम०ई०, सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टरों पर विशेष फोकस करते हुए आजीविका संवर्द्धन, सुशासन तथा पारदर्शिता का प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है।

राज्य स्तर पर विभागाध्यक्षों व शासन के अधिकारियों के साथ—साथ सभी जनपदों में कार्यशालायें सम्पन्न की गयी है, जिसमें एस0डी0जी0 स्थानीयकरण हेतु मुद्दे, समस्यायें व चुनौतियों को दूर करने के लिए सम्भावित निदानों पर चर्चा करते हुए जनपद स्तर पर भी एक विजन डाक्यूमेंट बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय Growth Engine of Low Hanging Sectors का चिन्हिकरण किया जाना प्रस्तावित है। सुलभता की दृष्टिगत यह पुस्तिका जिला योजना व ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को तैयार करते समय उपयोगी सिद्ध होगी।

में सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुडगवर्नेस, बीससूत्री कार्यक्रमों के अधिकारियों, विशेषज्ञों, किर्मिकों सिहत ससमस्त विभागों के विभागाध्यक्षों एवं नोडल अधिकारियों, का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा समय—समय पर विभिन्न बैठकों के माध्यम से संकेतकों को अन्तिम रूप देने में सराहनीय सहयोग दिया है। अन्त में मैं श्री अमित सिंह नेगी, सिचव नियोजन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी०पी०पी०जी०जी० का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा समय—समय पर नवेन्मेषी कार्यों हेतु समस्त टीम का उत्साहवर्द्धन किया जाता रहा है।

सभी प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्षों, निदेशक / विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों से सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वित करने हेतु सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ, जिन्हें हम सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग की ओर से यथावश्यक नीति—नियोजन में शामिल करने का प्रयास भी करेंगे।

(डाँ० मनोज कुमार पन्त) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

## विषय सूची


1	प्रदेश में सब जगह गरीबी का सभी रूपों में अन्त करना।	10
2	भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।	13
3	स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना।	17
4	समावेशी न्याय संगत तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।	20
5	लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।	23
6	सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना।	26
7	सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	29
8	सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी योजना और उचित कार्य को बढ़ावा देना।	31
9	समुत्थानशील, अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी व संधारणीय औद्यौगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहन करना।	34
10	अर्न्तराज्यीय असमानताओं को कम करना।	37
11	शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना।	39
12	सतत् उपभोग व उत्पादन पद्धति सुनिश्चित करना।	42
13	जलवायु परिवर्तन एवं इनके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना।	44
15	स्थलीय पारिस्थिकी—तंत्रों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना, इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना तथा जैव—विविधता की हानि को रोकना।	45
16	सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।	48
17	कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना।	50
	*लक्ष्य सं014, जो महासागरों तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबन्धित है, उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में लागू नहीं हैं।	



## सब जगह गरीबी का सभी रूपों में अन्त करना

- 1.1. वर्तमान में 1.25 डालर प्रतिदिन आय से कम जीवन यापन करने वाले सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी समाप्त करना।
- 1.2. राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार गरीबी के सभी आयामों में जीवन यापन कर रहे पुरूषों, महिलाओं व बच्चों की गरीबी आधा करना।
- 1.3. सामाजिक संरक्षण प्रणाली के उपयुक्त उपायों को सभी वर्गों के लिए कार्यान्वित करते हुए गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मिलित करना।
- 1.4. सभी पुरूषों व महिलाओं सहित गरीबों व कमजोर वर्ग को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकार, मूलभूत सेवायें, भूमि, सम्पति, विरासत, प्राकृतिक संसाधन, नई प्रौद्योगिकी तथा लघुवित्तीय, वित्तीय सेवाओं से जोड़ना।
- 1.5. गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले जलवायु सम्बन्धी घटनाओं, आपदाओं तथा सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय झटकों से पड़ने वाले प्रभावों व जोखिमों को कम करना।
  - 1(क) सहभागीदारी के माध्यम से संसाधनों का सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना, तथा सभी प्रकार की गरीबी दूर करने के लिये विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का लागू करना।
  - 1(ख) राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक निवेश द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिये विभिन्न लैंगिक समानता आधारित सुदृढ़ नीतिगत फ्रेमवर्क बनाना।







- कुल जनसंख्या के सापेक्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत।
- सामाजिक, आर्थिक जातिवार जनगणना के अनुसार वंचित ग्रामीण परिवारों की संख्या में कमी लाना।
- **1b)**. कौशल विकास प्रशिक्षण में सम्मिलित किए गए वंचित परिवारों की संख्या।
- 2. एन.आर.एल.एम व एन.यू.एल.एम के अंतर्गत सामुदायिक निवेश फंड प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या।
- 2a). सामुदायिक निवेश फंड के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के सापेक्ष आय अर्जन करने वाले SHG का प्रतिशत।
- 2b). गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या एवं ऐसे समूह जिन्हें बैंक क्रेडिट लिंकेज/सामुदायिक इनवेस्टमेंट फण्ड/रिवालविंग फण्ड प्रतिशत
- 3. अटल उत्तराखंड आयुष्मान योजना में शामिल परिवारों का कुल परिवारों के सापेक्ष प्रतिशत।
- 4. मनरेगा के अंतर्गत मांग के सापेक्ष रोजगार में लगाये गये रोजगारियों का प्रतिशत। मनरेगा के अंतर्गत कुल अर्ह जनसंख्या को दिए गए सामाजिक सुरक्षा का अनुपात।
- 5. मनरेगा के अंतर्गत कुल जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों के सापेक्ष रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारों का प्रतिशत।
- 5a). मनरेगा के अंतर्गत औसत रोजगार सृजन दिवस।
- 6. कुल अर्ह जनसंख्या के सापेक्ष सामाजिक सुरक्षा लाभ (मातृत्व लाभ) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का अनुपात।
- 6a). जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित गर्भवती माताओं का प्रतिशत।
- **бы).** प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना से लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या।
- 7. दिव्यांग पेंशन से लाभार्थियों की संख्या।
- विधवा पेन्शन में शामिल लाभार्थियों की संख्या।
- 9. वृद्धा पेन्शन में शामिल लाभार्थियों की संख्या।
- 10. प्रति दस हजार परिवार पर आवास रहित परिवारों की संख्या।
- 10 a). राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित आवास रहित परिवारों की संख्या।
- 10 ы). प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या।
- 11. स्वच्छ, सुरक्षित पेयजल उपयोग करने वाले परिवारों का कुल ग्रामीण जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत / अनुपात।
- 11 a). सुरक्षित पेयजल पहुंच वाले शहरी आबादी से कुल शहरी आबादी का अनुपात।
- 12. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल संयोजन संख्या।







## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 1 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

## 1. केन्द्र पोषित:-

- 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
- 2. राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम)।
- 3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम)।
- 4. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना।
- 5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण / नगरीय)।
- 6. बी.पी.एल. परिवारों के लिए एल.पी.जी. गैस सब्सीडी।
- 7. बायोगैस संयत्र स्थापना हेतु अनुदान।
- 8. जनधन योजना।
- 9. दिव्यागों के लिए राष्ट्रीय योजना।
- 10. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
- 11. आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना।


## 2. राज्य सैक्टरः

- 1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
- 2. दीन दयाल ग्रामीण आवास योजना।
- 3. अटल आवास योजना।
- 4. सहकारिता सहभागिता योजना।

## 3. बाह्य सहायतितः

- 1. उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (यू.डी.आर.पी)।
- 2. उत्तराखण्ड आकस्मिक सहायता कार्यक्रम (यू.ई.ए.पी)।
- 3. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना।










## भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।

- 2.1. गरीब व दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों के साथ सभी लोगों व शिशुओं को वर्षभर सुरक्षित पोषक भोजन उपलब्ध कराना व भुखमरी समाप्त करना।
- 2.2. 05 वर्ष से कम आयु के कम लम्बाई एवं वजन वाले बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, धात्री, महिलाओं, वृद्धों में 2025 तक कूपोषण समाप्त करना।
- 2.3. लघु खाद्य उत्पादक विशेषकर महिलाओं, किसानों, चरवाहों, मछुवाओं को गैर कृषि रोजगार भूमि, वित्तीय सेवाओं, बाजार के समान अवसरों को प्रदान करते हुए उत्पादकता में वृद्धि कर आय दो गुनी करना।
- 2.4. सतत खाद्य उत्पादकता प्रणाली के अन्तर्गत पास्थितिकी तंत्र को बनाते हुए मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ व अन्य आपदाओं के सहने योग्य लचीली कृषि पद्धित के साथ मृदा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- 2.5. सुदृढ़ विविध प्रबन्धन कर जैविक व पारम्परिक बीज व पौध बैंक तैयार कर लोगों को निष्पक्ष समान रूप से उपलब्ध कराना, घरेलू जानवरों तथा जंगली प्रजातियों की रक्षा करना।
  - 2(क) कृषि उत्पादन क्षमता वृद्धि हेतु सहयोग, ग्रामीण अवसंरचना, कृषि अनुसंधान, प्रौद्यौगिकी विकास तथा बीज एवं पशुधन जीन बैंकों में निवेश बढ़ाना।
  - 2(ख)खाद्य वस्तु बाजारों के कार्यकरण सुनिश्चित करते हुए खाद्यान्न भण्डारों की बाजार से सम्बन्धित सूचनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के साथ—साथ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार—चढ़ाव को नियंत्रण करना।





- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रु 5000 से कम आय वाले ग्रामीण परिवारों का कुल ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अनुपात ।
- 1a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पी.डी.एस कार्डो में शामिल अन्त्योदय अन्न योजना का प्रतिशत।
- **1b)** एन.एफ.एस.ए के अन्तर्गत कुल पी.डी.एस कार्डी में शामिल प्राथमिक परिवारों का प्रतिशत।
- 1c) एनएफएसए के अन्तर्गत कुल जनसंख्या के सापेक्ष शामिल जनसंख्या का प्रतिशत।
- 1d) खाद्यान्नों का आवंटन के सापेक्ष उठान।

- 5a). पशुधन बीमा के अन्तर्गत शामिल पशुओं का हिस्सा।
- **5b)**. प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता (ली0) (गाय, भैंस व बकरी)।
- 6. खाद्यान्न उत्पादकता (प्रति हेक्ट)।
- 6a). मिलैट उत्पादकता—बाजरा, कोंदो, रागी, ज्वार (प्रति हेक्ट)।
- 7. लघु व सीमान्त कृषकों की औसत आय (ह०रू० में)।
- 7a). प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत रबी व खरीफ नोटिफाइड फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषकों की संख्या।



- एनीमिया ग्रस्त गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो 11.0 ग्राम / डेसी.ली. से कम हो।
- 2a). टेकहोम राशन से लाभान्वित गर्भवती व धात्री माताओं का प्रतिशत।
- ऊँचाई के सापेक्ष कम वजन वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत।
- 3a). 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत।
- 06-59 माह आयु वाले एनीमिया ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत (11.0 ग्राम प्रति डेसी ली.)।
- 4a). प्रति लाख जनसंख्या पर अति कुपोषित बच्चों की संख्या।
- **4b)**. प्रति लाख जनसंख्या पर कुपोषित बच्चों की संख्या।
- प्रतिवर्ष प्रति पशु ऊन उत्पादन।

- कुल सिंचाई क्षेत्र (सिंचाई, लघु सिचाई) के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र का कुल कृषि भूमि क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत।
- 8a). सिंचाई के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन।
- संरक्षित खेती के अन्तर्गत शामिल कुल क्षेत्रफल (हे0)।
- 10. कच्चे रेशम का उत्पादन (क् / प्रति हे0)।
- 11. धान, गेहूँ, मोटे अनाज का उत्पादन (कु / प्रति हे०)।
- 11a). धान।
- 11b). गेहूँ।
- 11c). जर्मप्लाज्म का संरक्षण (संख्या)—मक्का।
- कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत मवेशी व भैंसों की संख्या।

## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 2 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

- 1. केन्द्र पोषितः-
  - 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
  - पोषक आहार वितरण।
  - 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ।
  - 4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ।
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
  - 6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ।
  - 7. राष्ट्रीय आयल सीड एवं आयल पाम मिशन।
  - 8. राष्ट्रीय बागवानी मिशन।
  - 9. राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन।
  - 10. राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन।
    - (i) रेनफैड एरिया विकास योजना।
    - (ii) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन।
    - (iii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
    - (iv) परम्परागत कृषि विकास।
  - 11. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन।
  - 12. रेन्डर पेस्ट उन्मूलन योजना।
  - 13. पशु रोगों पर नियत्रण हेतु राज्यों को सहायता।
  - 14. खुरपका-मुहँपका रोगों पर नियंत्रण।
  - 15. राष्ट्रीय पशुधन मिशन।
  - 16. राष्ट्रीय डेरी विकास योजना।
  - 17. नीली क्रान्ति योजना।

## 2. राज्य सैक्टरः

- 1. राज्य खाद्य योजना (टाइड ओवर)।
- 2. स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम।
- 3. खाद्यान्न / दलहन / तिलहन बीज खरीद योजना।
- 4. कीटनाशक खरीद योजना।
- 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम।
- 6. दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना।
- 7. जल पम्प, रिप्रकलर सेट, पॉलीहाउस विविधीकरण।
- 8. एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना।
- 9. जैविक मडुवा उत्पादन कार्यक्रम।









- 10. न्याय पंचायत स्तर पर कृषि कार्य मशीनरी बैंक स्थापना।
- 11. किसानों की आय दो गुना करने की योजना।
- 12. मधुमक्खी पालन योजना।
- 13. मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना।
- 14. उधानिकीकरण।
- 15. मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकासयोजना (पॉलीहाउस)।
- 16. बागवानी बीमा योजना।
- 17. उधानिकीकरण का नवीनीकरण (बागानों का जीर्णोंद्धार)।
- 18. पौंध रोपण योजना।
- 19. बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
- 20. जैविक बागवानी की खेती योजना।
- 21. अखरोट तथा अन्य गिरीदार फल विकास मिशन।
- 22. मिशन एप्पल स्कीम।
- 23. अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सघन व बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
- 24. सुगन्ध पौधों का कलस्टर विकास योजना।
- 25. भेषज कृषि विकास योजना।
- 26. चाय विकास योजना।
- 27. रेशम विकास योजना।
- 28. बद्री नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन योजना।
- 29. अहिल्याबाई होल्कर भेड़ बकरी विकास योजना।
- 30. महिला बकरी पालन योजना।
- 31. राज्य में ऊन कतरन एवं विपणन योजना।
- 32. बकरी पालन योजना।
- 33. भेड़ पालन योजना।
- 34. गाय पालन योजना।
- 35. चारा बैंकों (भण्डारण व वितरण गृह) की स्थापना।
- 36. चारा एवं चारागाह विकास योजना।
- 37. डेरी विकास योजना।
- 38. महिला डेरी विकास योजना।
- 39. गंगा-गाय महिला डेरी विकास योजना।
- 40. पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक पर राज सहायता योजना।

## 2. केन्द्र सैक्टरः

- 1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन।
- 2. राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन।

## 4. वाह्य सहायतितः

- 1. आईफैड सहायतित समेकित आजिविका सहयोग परियोजना।
- 2. जायका- यू०वी०एस०पी०पी०।







## स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना।

- 3.1. मातृ मृत्यु दर 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से कम करना।
- 3.2. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु रोकना।
- 3.3. गम्भीर बीमारियां एड्स, मलेरिया तथा हेपाटाइसिस, जल जनित रोगों, संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम तथा अपेक्षित रोगों की महामारी को रोकना।
- 3.4. असंक्रमणीय रोगों से होने वाली मृत्यु दर को एक तिहाई से कम करना।
- 3.5. मादक औषधियों के दुरूपयोग व मदिरा के हानिकारक उपयोग की रोकथाम तथा उपचार को सुदृढ़ बनाना।
- 3.6. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु व आघातों को आधा करना।
- 3.7. कार्यक्रमों में परिवार नियोजन सहित यौन प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना और शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना।
- 3.8. सभी के लिए सुरक्षित गुणवत्तापरक सस्ती दवाइयों व टीके उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय जोखिम सुरक्षा सहित स्वास्थ्य कवरेज सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
- 3.9. खतरनाक रासायनों, वायु, जल व मृदा प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की रोकथाम।
- 3.10. उत्तराखण्ड योग महोत्सव।
  - **3-(क)** विश्व स्वास्थय संगठन फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन कर तम्बाकू नियंत्रण।
  - 3-(ख) संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय बीमारियों के टीके व दवाईयों पर अनुसंधान कर सस्ती दवाईयाँ / औषधि उपलब्ध कराना।
  - 3-(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी वित्त पोषण में वृद्धि करना, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती व प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - 3-(घ) स्वास्थ्य जोखिम से पूर्व चेतावनी का प्रचार-प्रसार करते हुए जोखिम में कमी करना।









- 1. मातृ मृत्यु दर।
- 1a). संस्थागत प्रसव का प्रतिशत।
- 1b). शिशु जन्म के 2 दिनों में कुशल स्वास्थ्य कर्मी से प्रसव पश्चात् सेवा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत।
- 2. चार तथा अधिक पूर्ण ए.एन.सी. प्राप्त गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।
- 2a). पूर्ण टीकाकरण प्राप्त गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।
- 3. प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर।
- बाल प्रतिरक्षण (12–23 माह)-पूर्ण प्रतिरक्षण (बीसीजी, खसरा और पेंटावैलेंट वैक्सीन) प्रतिशत।
- 5. शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर)।
- 6. कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत (संस्थाओं में)।
- 7. 0-5 वर्ष के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत।
- 8. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-5 आयु के बच्चों क 4 डी स्क्रीनिंग का प्रतिशत।
- 9. प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अधिसूचित क्षय रोग से ग्रसित मामले।
- 9a). टी.बी. के उपचारित मामलों की निस्तारित दर।
- 10. प्रति लाख जनसंख्या पर गैर संचारी रोगी के मामलों की संख्या।
- 11. एन्टी रिट्रोवाइरल थरेपी दिए गए एच.आइ.वी. मामलों की संख्या।
- 12. महामारी प्रकोपों से बचाव से सम्बन्धित मामलों की संख्या।

## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 3 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

## 1. केन्द्र पोषित :

- 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- मानव संसाधन हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा।
- 3. राष्ट्रीय आयुष और औषधि प्लांट मिशन।
- 4. राष्ट्रीय आयुष मिशन।
- एड्स व संक्रामक बिमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- 6. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण।
- 7. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
- 8. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम।
- 9. राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम।
- 10.मातु स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- 11.राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम।
- 12.रूवेला टीकाकरण अभियान।
- 13.रक्त कोष सुरक्षा कार्यक्रम।
- 14.एंटी रेट्रो वायरल उपचार कार्यक्रम।
- 15.हदृय रोग, घात, मधुमेह व केंसर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- 16.प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम।
- 17.वृद्धों के सुरक्षा / उपचार हेतु राष्ट्रीय प्रोग्राम।
- 18.राष्ट्रीय ओरल स्वास्थ्य योजना।
- 19.बहरेपन निवारण एवं रोकथाम योजना।
- 20.राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम।
- 21.राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- 22.राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
- 23.योग दिवस कार्यक्रम।


## 2. राज्य सेक्टरः

1. जनजाति उपक्षेत्र योजना।

- 2. राष्ट्रीय आयुष मिशन।
- 3. उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना।
- 4. मुख्य मंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना।
- 5. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- 6. खुशियों की सवारी।
- 7. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- स्वास्थ्य चिकित्सा में निजी व सार्वजनिक सहभागिता।
- 9. ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आयोजन।
- 10.प्रत्येक जिले में आयुष ग्राम की स्थापना।
- 11.आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा।

## 3. वाह्य सहायतितः

1. हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।






## समावेशी, न्याय संगत तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।

- 4.1 प्राथमिक व प्रारम्भिक स्तर पर सभी बालक तथा बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- 4.2 सभी बालक तथा बालिकाओं को प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास व प्राथमिक पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना।
- 4.3 सभी पुरूष व महिलाओं के लिए किफायती उच्च शिक्षा, तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा सुलभता सुनिश्चित करना।
- 4.4 रोजगार उद्यमता हेतु तकनीकी व व्यवसायिक कौशल द्वारा युवाओं के लिए रोजगार में वृद्धि करना।
- 4.5 शिक्षा में लैंगिक असमानता समाप्त करना, निःशक्त, असुरक्षित बच्चों सहित कमजोर लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण में समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना।
- 4.6 सभी युवाओं, पुरूषों, महिलाओं को साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कराना।
- **4.7** शिक्षा के माध्यम सभी शिक्षार्थियों को सतत् (सधारणीय) विकास, जीवन शैली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शान्ति, अहिंसा, संस्कृति व सांस्कृतिक विविधतता का ज्ञान और कौशल अर्जित करना।
  - **4(क)** बच्चों, निःशक्तता और स्त्री पुरूष समानता के प्रति संवेदनशीलता, सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति हेतु सुविधाओं का निर्माण व स्तरोन्नयन करना।
  - 4(ख) उच्च शिक्षा नामांकन, व्यवसायिक प्रशिक्षण सूचना संचार प्रौद्योगिकी तकनीकी इन्जीनियरिंग व वैज्ञानिक कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति की संख्याओं में वृद्धि करना।
  - 4(ग) शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को बढ़ाना।





- 1. प्राथमिक (कक्षा 1-8) व माध्यमिक (9-10) स्तर पर समायोजित शुद्ध नामांकन दर / अनुपात।
- 2. कक्षा ५ के छात्रों के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन (ई.वी.एस) विषयो में सीखने के प्रतिफल का प्रतिशत।
- 2a). प्राथमिक स्तर (कक्षा-5) के अंत तक छात्रों का (पढ़ने) सीखने का स्कोर।
- 2b). प्राथमिक स्तर (कक्षा-5) तक गणित विषय में सीखने का स्कोर।
- 3. राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में कम से कम एक न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त करने वाले ग्रेड 3, 5, 8 व 10 के छात्रों का इन सभी ग्रेडों के छात्रों के सापेक्ष प्रतिशत।
- 3a). कक्षा 8 के विद्यार्थियों का गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में सीखने के परिणामों में गतिविधियों का प्रतिशत।
- 3b). कक्षा 8 के अन्त तक सीखने / पढ़ने का स्कोर।
- 3c). कक्षा 8 के अन्त तक गणित विषय में पढ़ने का स्कोर।
- माध्यमिक स्तर पर (वार्षिक) स्कूल छोड़ने की दर।
- 4a). प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर।
- 4b). उच्च प्राथमिक स्तर पर (छात्रों / छात्राओं / अनु.जाति / जनजाति) के स्कूल छोड़ने की दर।
- 5. ग्रेड-1 में नामांकित छात्रों का अनुपात जो अंतिम ग्रेड प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक स्तर तक पहुंचते हैं।
- 6. माध्यमिक स्तर पर छात्र / छात्राएँ / अनुसूचित जाति / जनजाति के स्कूल छोड़ने की दर।
- 7. 6-13 वर्ष आयु के बच्चों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत।
- सीनियर सेकेंड्री स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर (छात्र / छात्राएँ / अन्.जाति / जनजाति)।
- 9. कुल क्षमता के सापेक्ष पालिटेक्निक में भरी गई सीटों का प्रतिशत तथा पालिटैक्निक में प्लेसमेंट का अनुपात।
- 10. उच्च शिक्षा में महिला, पुरूष का अनुपात।
- 11. कम्प्यूटर साक्षर वयस्कों का अनुपात।
- 12. व्यावसायिक / पेशेवर शिक्षकों का प्रतिशत।
- 12a). वर्ष में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का प्रतिशत।
- 13. उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर 30 से कम छात्र शिक्षक अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत।



## योजनाएं एवं कार्यक्रम



## लक्ष्य सं0 4 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

#### 1. केन्द्र पोषितः

- 1. सर्व शिक्षा अभियान।
- 2. मिड—डे मील योजना।
- 3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा)।
- 4. शिक्षा विकास के लिए शिक्षक शिक्षा की पुनः संरचना एवं प्रशिक्षण।
- 5. बालिकाओं को मुफ्त माध्यमिक शिक्षा।
- 6. अल्प संख्यकों को मदरसों में शिक्षा हेतु योजना।
- 7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)— दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन।
- 8. अनुसूचित जाति छात्रों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति।
- 9. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए कन्याधन योजना।

#### 2. राज्य सेक्टरः

- 1. पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का मुफ्त वितरण।
- 2. बच्चों के लिए प्रोत्साहन की योजना।
- 3. शिक्षकों को प्रशिक्षण।

- 4. बच्चों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका स्कूल में छात्रावासों का विकास / विस्तारीकरण।
- 6. स्काउट एवं प्रदर्शनी।
- 7. स्कूलों में खेलों का आयोजन।
- 8. स्नातकोत्तर / पी०एच०डी० अध्ययनरत गरीब छात्रों के लिए सहायता।
- 9. विश्व विद्यालयों की उच्चीकरण योजना।
- 10. शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- 11. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।
- 12. मेडिकल व इंजीनियरिंग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना / लेपटॉप वितरण।
- 13. उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- 14. उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों के उन्नयन की योजना (लैपटॉप वितरण)।
- 15. राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हेतु सुविधा व अन्य उन्नयन योजना।
- पण्डित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण।
- 17. निजी संस्थानों द्वारा खेल में प्रतिभागिता।






## लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तितकरण करना।

- 5.1. महिलाओं तथा बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना।
- 5.2. सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा, खरीद—फरोख्त, यौन शौषण का अंत करना।
- 5.3. हानिकारक प्रथाओं जैसे बाल विवाह व महिला जननांग विकृति समाप्त करना।
- 5.4. जन सेवाओं, अवसंरचना व घरेलू कार्यों में गृहस्थी व परिवार में साझे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
- 5.5. राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक निर्णय के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 5.6. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना।
  - **5(क)** कानून के अनुसार महिलाओं को भूमि, सम्पत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण का समान अधिकार प्रदान करना।
  - 5(ख) महिला सशक्तिकरण हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
  - **5(ग)** लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए सभी स्तरों पर महिला एवं बालिका सशक्तिकरण हेतु सुदृढ़ नीति व विधानों को अपनाना।





- 1. लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की सं०)।
- 1a). आई.सी.डी.एस नामांकित में पूर्व विद्यालयी शिक्षा (3 वर्ष से अधिक आयु) बच्चों में लड़के, लड़कियों का अनुपात।
- 1ь). नंदा गौरा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या।
- 2. हिंसा के मामलों में चार्जशीट आरोपित मामलों का प्रतिशत।
- मानव तस्करी के मामलों में चार्जशीट आरोपित मामलो का प्रतिशत।
- पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत चार्जशीट आरोपित मामलो का प्रतिशत।
- 5. प्रति लाख जनसंख्या पर घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलो की संख्या।
- प्रति लाख जनसंख्या पर रिर्पोटेड दहेज के मामलो का प्रतिशत।
- 7. राज्य विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत।
- 8. परिवार नियोजन के अन्तर्गत आधुंनिक विधि का उपयोग करने वाली 15-49 वर्ष आयु की महिलाओं का प्रतिशत।
- 9. महिला श्रमबल भागीदारी का पुरूष श्रमबल भागीदारी की दर के सापेक्ष प्रतिशत।
- 10. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में 15—59 आयु की वेतनभोगी आयु के अन्तर्गत महिलाओं का प्रतिदिन / नियमित वेतन तथा पुरूषों के प्रतिदिन वेतन के औसत का अनुपात।
- 11. महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या जिनको बैंक क्रेडिट से जोड़ा गया।





## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 5 को पूर्ण करने के लिए मुख्य योजनायें।

#### 1. केन्द्र पोषितः

- 1. महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन।
- 2. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण की योजना।
- 3 बाल संरक्षण आयोग ।
- समन्वित बाल विकास योजना ।
- 5 किशोरी शक्ति योजना।
- 6. सबला-किशोरी बालिकाओं के संशक्तिकरण की योजना।
- 7. प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजना।
- राष्ट्रीय महिला संशक्तिकरण मिशन।
- 9. उज्जवला योजना।
- 10. स्वाधार गृह योजना।
- 11. निर्भया फण्ड।
- 12. राष्ट्रीय क्रेच योजना।
- 13. राष्ट्रीय पोषण मिशन।
- 14. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ।
- 15. आदिम जनजाति के उन्नयन हेतु विशेष योजना।

#### 2. राज्य सेक्टरः

- 1. इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण।
- 3. किशोरी बालिकाओं के लिए सेनेटरी नैपकीन की व्यवस्था।
- 4. नन्दा-गौरा योजना।
- पं० दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष।
- 6. निर्भया योजना।
- 7. मुख्य मंत्री बाल पोषण अभियान अभियान।
- 8. मुख्य मंत्री वृद्ध महिला पोषण अभियान योजना।
- 9. मुख्य मंत्री महिला सतत् आजीविका योजना।
- 10. अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता।










## सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना।

- 6.1. सभी के लिए शुद्ध व किफायती पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करना।
- 6.2. पर्याप्त स्वच्छता व स्वास्थ्यकारिता पहुंच सुनिश्चित करना तथा खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना।
- 6.3. कूड़ा उन्मूलन, खतरनाक रसायनिक सामग्री के प्रवाह का न्यूनीकरण, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करने तथा जल का पुर्नपयोग कर सुरक्षित जल के रूप में उपयोग करना।
- 6.4. जल स्रोतों में पर्याप्त वृद्धि करते हुए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जल की पूर्ति करना।
- 6.5. एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन लागू करना।
- **6.6.** वनों, पर्वतों, नदियों व झीलों व पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण व पुनरोद्धार करना।
  - 6(क) जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार, जल रिसाइक्लिंग कर पुनः उपयोग, प्रौद्योगिकीयों से जल व स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रसार व विस्तार करना।
  - **6(ख)** जल और स्वच्छता प्रबन्धन सुधार हेतु स्थानीय समुदाय तथा जन सहभागिता को सुदृद्ध करना।







- 1. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।
- 2. नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।
- 3. 40ली. प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन पेयजल संयोजन में शामिल ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत।
- 4. पेयजल हेतु पेयजल गुणवत्ता परीक्षण किए गए जल स्रोतो का प्रतिशत।
- 5. नगरों क्षेत्रों के अन्तर्गत पेयजल हेतु नल से संयोजित घरेलू परिवारों का प्रतिशत।
- 6. प्रति लाख जनसंख्या पर जल-जनित रोगों से संज्ञानित मामलों की संख्या।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत पारवारिक शौचालयों का अनुपात।
- 7a) ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्मित व्यक्तिगत पारवारिक शौचालयों का ग्रामीण घरों के सापेक्ष प्रतिशत।
- खुले में शौच मुक्त प्रमाणित जनपदों का प्रतिशत।
- 9. सामुदायिक शौचालयों के अन्तर्गत शामिल किए गए घरों / परिवारों का प्रतिशत।
- 10. लड़िकयों के लिए निर्मित पृथक शौचालय युक्त विद्यालयों का कुल विद्यालयों के सापेक्ष अनुपात।
- 11. शहरी क्षेत्र में उत्पन्न सीवेज के सापेक्ष स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता का अनुपात।
- 11a). कुल उत्पन्न सीवेज के सापेक्ष रिसाइकिलिंग सीवेज का प्रतिशत।
- 11b). शहरी क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम से संयोजित कुल परिवारों / घरों का प्रतिशत।
- 12. उपचारित तरल अपशिष्ट कचड़े का कुल उत्पन्न तरल अपशिष्ट कचड़े का अनुपात।
- 13. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मानको के अनुसार उद्योगों से तरल अपशिष्ट उपचार युक्त उद्योगों का प्रतिशत जो अत्यधिक प्रदूषणकारी 17 श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल हैं।
- 14. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदी प्रदूषण की रोकथाम।
- 15. वार्षिक रूप से भू—जल की उपलब्धता के सापेक्ष दोहन किए गए भू—जल का प्रतिशत।
- 15a). जल स्रोतों के घटने का प्रतिशत।












## लक्ष्य सं0 6 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

## केन्द्र पोषितः

- एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण / शहरी)।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०)। 3.
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (नमामि गंगे)। 4.
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलागम विकास घटक। 5.
- अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। 6.
- रमार्ट सिटी योजना। 7.
- कृत्रिम भू-जल सिंचाई। 8.
- गंगा कार्य योजना।





## 2.

- नगरीय सिवरेज / सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट।
- ग्रामीण जल एवं स्वच्छता योजना।
- अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में गूल, कूप व आर्टीजन का निर्माण।
- ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण।

#### वाह्य सहायतितः 3.

- नाबार्ड से निर्मित लघु सिंचाई योजनायें।
- स्वच्छ भारत मिशन-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।



## सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद्र, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

#### लक्ष्य

- 7.1. सभी को सस्ती आधुनिक ऊर्जा सेवायें उपलब्ध कराना।
- 7.2 उर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्सों में पर्याप्त वृद्धि करना।
- 7.3 ऊर्जा दक्षता सुधार दर दो गुनी करना।
  - 7(क) नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ जीवास्म ईंधन सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान ओर प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाना तथा ऊर्जा अवसंरचना व स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्यौगिकी में निवेश बढ़ाना।
  - **7(ख)** आधुनिक व सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति हेतु अवस्थापनाओं का विस्तार कर प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करना।





- 1. विद्युतीकृत घरों का प्रतिशत।
- 2. विद्युतीकृत वसावटो का प्रतिशत।
- 3. प्रति व्यक्ति बिजली की खपत।
- 4. स्वच्छ रसोई ईधन / एल.पी.जी. उपयोग करने वाले घरों / परिवारों का कुल परिवारो के सापेक्ष प्रतिशत।
- 4a). कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश।
- 5. नवीकरणीय ऊर्जा हेतु स्थापित क्षमता / कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश।
- 5a). सर्वोदय स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या।
- 5b). उत्पादित सौर ऊर्जा का प्रतिशत।

## योजनाएं एवं कार्यक्रम


## लक्ष्य सं0 7 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।


#### 1. केन्द्र पोषितः

- 1. राष्ट्रीय बायोगैस योजना।
- 2. सोलर थर्मल कार्यक्रम।
- 3. सोलर फोटो वोल्टाइक कार्यक्रम।
- 4. जल विद्युत परियोजनायें।
- 5. सौभाग्य योजना।
- 6. समेकित ऊर्जा विकास योजना।
- 7. पुनः संरचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार।
- सनराईज स्वतः रोजगार योजना।

## 2. राज्य सेक्टरः

- 1. ग्रीन साईड परियोजनाओं का उन्नयन।
- 2. लघु जल विद्युत परियोजनायें।
- 3. सोलर वाटर हीटर फारमेट- ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम हेतु मिशन।
- इंटीग्रेटेड ट्रांस-मिशन सिस्टम एनर्जी कन्जर्वेशन प्रोग्राम।







## वाह्य सहायतितः

1. नाबार्ड से निर्मित लघु सिंचाई योजनायें।




## सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।

- 8.1. राज्य की परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर तथा प्रतिवर्ष कम से कम 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाये रखना।
- 8.2. श्रम बहुल क्षेत्रों में विविधीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन व नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता का उच्चतर हासिल करना।
- 8.3. उत्पादक कार्यकलापों, रोजगार सृजन, उद्यमिता, सृजनात्मक और नवोन्मेष समर्थन विकास नीतियों को बढ़ावा देते हुए लघु, शूक्ष्म, मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
- 8.4. सतत् उपभोग व उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों की 10 वर्षिय रूपरेखा के अनुसार आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण से अलग करते हुए संसाधनों के उपभोग और उत्पादन में क्रमिक सूधार लाना।
- 8.5. युवाओं, निःशक्तों, महिलाओं और पुरूषों के लिए रोजगार उपलब्धता व समान मूल्य के कार्य के लिए समय भुगतान सुनिश्चित करना।
- 8.6. रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को कम करना।
- 8.7. बेगार उन्मूलन, श्रम निषेध तथा बाल सैनिक की भर्ती सहित वर्ष 2024 तक सभी प्रकार के बाल श्रम का अंत करना।
- 8.8. प्रवासी महिला कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित परिवेश बढ़ाना व श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।
- 8.9. स्थानीय संस्कृति व उत्पादों को बढ़ावा देते हुए सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार कर लागू करना।
- 8.10. सभी के लिए बैंकिंग बीमा, वित्तीय सेवाओं को विस्तारित कर पहुंच बनाना व वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।
  - व्यापार समर्थन हेतु सहायता, तकनीकी व वर्धित एकीकृत सहायता उपलब्ध कराना।
  - 8(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैश्विक रोजगार व युवाओं के नियोजन के लिए कार्यनीति तैयार करना।

- 1. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (वार्षिक मूल्य में बदलाव) के लिए वार्षिक औसत दर प्रति व्यक्ति (2011–12 की स्थिर दर पर)।
- 2. प्रतिहजार जनसंख्या पर पुरूषों व महिलाओं की औसत बेरोजगारी दर।
- 2a). स्टैण्ड अप इंडिया के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या।
- 2ы). उद्यमिता के लिए ऑन लाइन पंजीकरण के अन्तर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों की संख्या।
- 3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कौशल विकास से लाभान्वित युवाओं की संख्या।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रदत्त युवा।
- 5a). प्रतिवर्ष पर्यटक आगमन परिवर्तन प्रतिशत।
- 5b). कुल पर्यटकों में विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत।
- 6a). होमस्टे की संख्या।
- бы). होटल व मोटल की संख्या।
- 7. प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक खातों की संख्या।
- 7a). जन-धन खातों की संख्या।
- 8. प्रति लाख जनसंख्या पर बैकिंग आउटलेट्स की संख्या।
- 9. प्रति लाख जनसंख्या पर ए.टी.एम की संख्या।



## योजनाएं एवं कार्यक्रम



## लक्ष्य सं0 8 को पूर्ण करने के लिए मुख्य योजनायें।

#### 1. केन्द्र पोषितः

- 1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
- 2. जन-धन योजना।
- 3. असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
- 4. उद्यम विकास।
- 5. स्टार्ट अप इंडिया।
- 6. स्टेन्ड अप इंडिया।
- 7. ईज आफ डुईंग बिजनेस।
- 8. प्रधान मंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम।
- 9. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापनाजन धन योजना।
- 10. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)।

#### 2. राज्य सेक्टरः

- 1. शिल्पी ग्राम योजना।
- 2. पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम विकास हेतु एकीकृत योजना।
- 3. उत्तराखण्ड हैण्डलूम व हैण्डीक्राफ्ट योजना।

- 4. मेघा टैक्सटाईल पार्क पालिसी।
- 5. क्लस्टर विकास योजना।
- 6. पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए वित्तीय सहायता।
- 7. महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोसाहन योजना।
- 8. ग्रामीण हाटों का विकास (नाबार्ड)।
- 9. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना।
- 10. नन्दा देवी योजना।
- 11. ऊन / धागा बैंकों की स्थापना।
- 12. रेशा खरीद हेतु अनुदान।
- 13. मुख्य मंत्री स्वतः रोजगार योजना।
- 14. महिलाओं व कमजोर वर्ग के लिए उद्यमिता।
- 15. पलायन रोकने के लिए उद्यम आधारित ग्रोथ सेन्टर का विकास।
- 16. स्पर्श गंगा कार्यक्रम।
- 17. राज्य उत्सव (लोक गीत व लोक कला)।
- 18. ऋण / उपादान स्वरोजगार योजना।
- 19. उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (एकल एवं सामूहिक ग्राम)।
- 20. भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के पुनर्वासन हेतु कौशल विकास व रोजगार प्रशिक्षण योजना।
- 21. सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 22. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना।
- 23. पर्यटन विकास की नई योजना।
- 24. होम-स्टे योजना।
- 25. खनिज की खोज।
- 26. सेवा सेक्टर ईकाईयों का उन्नयन।
- 27. उपासक योजना।
- 28. साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन।
- 29. धार्मिक पर्यटन विकास।
- 30. ट्यूरिस्ट सर्किट।
- 31. स्वदेश दर्शन।
- 32. प्रसाद स्कीम।

## 3. केन्द्र सैक्टरः

- 1. समेकित बाल श्रम निवारण योजना (आई०सी०एल०पी०)।
- 2. मुद्रा योजना।
- 3. प्रधान मंत्री जन धन योजना।











समुत्थानशील अवसंखना का निर्माण करना, समावेशी व संधारणीय औद्यौगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना।

- 9.1. आर्थिक व मानव कल्याण हेतु क्षेत्रीय समुत्थानशील गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय अवसंरचना का विकास करना।
- 9.2. सतत् औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हुए रोजगार व सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में वृद्धि कर दो गूना करना।
- 9.3. लघु, सूक्ष्म, मध्यम व अन्य उद्यमों के लिए किफायती दरों पर वित्तीय सेवायें उपलब्ध करना।
- 9.4. क्षमतानुसार स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी व औद्योगिकीकरण को अंगीकृत करने के साथ उद्योगों को संधारणीय बनाते हुए अवसंरचना का स्तरोन्नयन करना।
- 9.5. नवोन्मेश को प्रोत्साहन करते हुए अनुसंधान व विकास कामगारों में वृद्धि और निजी अनुसंधानों पर व्यय बढ़ाना। औद्योगिक क्षेत्रों की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का स्तरोन्नयन करना।
  - 9(क) वर्धित वित्तीय प्रौद्योगिकीय और तकनीकी सहायता माध्यम से संधारणीय समुन्थानशील अवसंरचना विकास करना।
  - 9(ख) औद्योगिक विविधीकरण और वस्तुओं के मूल्य वर्धन के लिए नीति सुनिश्चित करना तथा घरेलू प्रौद्योगिकी विकास अनुसंधान, नवोन्मेष के लिए सहायता करना।
  - 9(ग) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में पर्याप्त वृद्धि व इन्टरनेट की सर्वव्यापकता व किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करना।





- 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लक्षित वसावटों के सापेक्ष संयोजित वसावटों का प्रतिशत।
- 1a). प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना से संयोजित ग्राम।
- 2. उद्योगों द्वारा उपयोग की गई सकल पूंजी निर्माण।
- 3. उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में अंश।
- सेवा सेक्टर में कुल रोजगार का अंश।
- कुल रोजगार के सापेक्ष विर्निमाण क्षेत्र में रोजगार का अनुपात।

- 6. विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि।
- 7. विनिर्माण क्षेत्र में ऊर्जा उपयोग।
- 8. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 व्यक्तियों पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या।
- 9. भारत नेट से शामिल ग्राम पंचायतो की संख्या।
- ई-पंचायत सुईट का उपयोग करके ग्राम पंचायतों का प्रतिशत।
- 11. प्रति 1000 आबादी पर इंटरनेट ग्राहकों की संख्या।






# योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 9 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

- 1. केन्द्र पोषितः
  - 1. राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास योजना।
  - 2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना।
  - 3. उपरगामी पुलों का निर्माण।
  - 4. राष्ट्रीय ई-गर्वेनेन्स योजना।
  - 5. टैक्नालाजी इन्क्यूवेशन सेंटर।
  - 6. स्पेस बेस्ड इंफारमेंशन सपोर्ट फॉर पॉवर प्रोजेक्ट।
  - 7. स्वान (SWAN)।
  - 8. विकास खण्ड व तहसील स्तर पर वीडियो कान्फ्रेसिंग व्यवस्था।





### 2. राज्य सैक्टरः

- 1. उद्योग मित्र।
- 2. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भू उपयोग योजना।
- 3. जल स्रोत प्रबन्धन।
- 4. प्राकृतिक जल स्रोतों का प्रबन्धन।
- 5. शोध अनुसंधान विकास योजना (UCost)।
- प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा प्रचार प्रसार।
- 7. सांइस ऑफ सरवाईवल (SOS)।
- 8. यूसर्क लेक्चर सिरीज कार्यक्रम।
- 9. प्रौद्योगिकी तथा नवाचार कार्यक्रम।
- 10. नदियों का पुर्नजीविकरण हेतु कार्यक्रम।
- 11. राज्य में सशक्त साइंस केरीडोर स्थापना।
- 12. सचल विज्ञान प्रयोगशाला वाहन एवं उपकरण।
- 13. नेशनल इंफारमेंशन एण्ड इंफ्रासटेक्चर।
- 14. प्रधान मंत्री डिजीटल साक्षरता योजना।
- 15. दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए एरोस्टेट बेलून परियोजना।
- 16. क्लस्टर विकास योजना।
- दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के आधुनिक विकास हेतु
   योजना।
- 18. नाबार्ड से ग्रामीण हाटों का निर्माण।

### 3. केन्द्र सैक्टरः

- 1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन।
- 1.1. स्टार्ट अप इंडिया।
- 1.2. स्टैण्ड अप इंडिया।
- 1.3. ईज आफ डुईंग बिजनेस।
- 2. अटल नवीकरण मिशन-शोध विकास (UCost)।








# अर्जराज्यीय असमानताओं को कम करना

- 10.1. आबादी के निचले पायदान के 40 प्रतिशत लोगों की आय को राज्य की औसत आय के सापेक्ष बढ़ाना।
- 10.2. हर उम्र, लिंग, निःशस्त, प्रजाति, मूल धर्म अथवा आर्थिक व अन्य स्थिति के लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से सशक्त बनाना।
- 10.3. भेदभाव परक कानूनों, नीतियों व व्यवहारों को समाप्त कर उपयुक्त विधान, नीतियों का कार्यान्वयन करते हुए आय की असमानता को दूर कर भेदभाव दूर करना।
- 10.4. मौद्रिक, वेतन तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों को अंगीकृत करते हुए क्रमशः उच्चतर समानता प्राप्त करना।
- 10.5. वित्तीय बाजारों और संस्थानों को अनुवीक्षण के माध्यम से विनियमित कर बेहतर बनाना।
- **10.6.** आर्थिक तथा वित्तीय संस्थानों में निर्णयकारी प्रक्रिया, संस्थानों की विश्वसनीयता, प्रभावी व उत्तरदायी व विधायी बनाना।
- 10.7. लोगों का व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित प्रवास और गतिशीलता नीति को सुगम बनाना।





- 1. अनुसूचित जाति उप योजना मे बजट उपयोग का प्रतिशत।
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना में बजट उपयोग का प्रतिशत।
- 3. पुरुष श्रमबल की भागीदारी के सापेक्ष ट्रांसजेंडर श्रमबल की भागीदारी का प्रतिशत।
- 3a). उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के रोजगार दर।
- **3b).** तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रों का लेने की दर।
- 3c). उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति से लाभान्वित अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों का प्रतिशत।
- 3d). सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना में अनुसूचित जाति / जनजाति परिवारों का प्रतिशत।

# योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 10 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

### 1. केन्द्र पोषितः

- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बहु क्षेत्रीय योजनाएं।
- 2. अनुसूचित जाति विकास के लिए योजनाएं।
- 3. अन्य पिछड़ा वर्ग, डिनोटिफाईड व घुमन्तू जनजातियों / वर्गों के विकास के लिए योजना।
- 4. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना।
- 5. बी०आर०जी०एफ०।
- 6. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन।

### 2. राज्य सैक्टरः

1. कौशल विकास मिशन।







# शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समृत्थानशील और संघारणीय बनाना।

- 11.1. सबके लिए पर्याप्त सुरक्षित तथा सस्ते मकान व बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराते हुए झुग्गी बस्तियों का विकास करना।
- 11.2. सबके लिये सुरक्षित, सस्ती व संधारणीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराते हुए सड़क सुरक्षा बढ़ाना व सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विस्तार कर बच्चों, महिलाओं, वृद्धों व कमजोर वर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखना।
- 11.3. समावेशी, सधारणीय शहरीकरण, क्षमता वृद्धि हेतु सहभागिता तथा एकीकृत व संधारणीय मानव पुर्नवास का नियोजन व प्रबन्धन।
- 11.4. प्रदेश में सांस्कृतिक व प्राकृतिक दावों की संरक्षा व सुरक्षा के उपायों का सुदृढ़ीकरण।
- 11.5. जल आपदाओं सिहत अन्य आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद को होने वाली हानि से प्रभावित लोगों में कमी करना तथा आपदा से मृत्यू को कम करते हुए गरीबों का संरक्षण करना।
- 11.6 नगरों में प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना तथा वायु की गुणवत्ता बनाये रखते हुए अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देना।
- 11.7 महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व अशक्तों के लिए सुरक्षित समावेशी, सुगम हरित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना।
  - 11(क) शहरी, अर्ध—शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय सहायता प्रदान करते हुए क्षेत्र विकास योजनाओं का सशक्तिकरण।
  - 11(ख) नगरों व मानव बस्तियों में संख्या की वृद्धि के लिए एकीकृत नीति, समावेशन, संसाधन दक्षता, जलवायु परिवर्तन व आपदा न्यूनीकरण हेतु जोखिम प्रबन्धन के साथ योजनाओं को अंगीकरण करना।
  - 11(ग) स्थानीय सामग्री का उपयोग कर मजबूत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।






- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल मांग के अनुसार निर्मित आवासों का प्रतिशत।
- 2. शहरी मलिन बस्तियों मे रह रहे परिवारों का कुल शहरी परिवार में प्रतिशत।
- 3. सार्वजनिक परिवहन के सन्दर्भ में कुल शहरों के सापेक्ष परिवहन गतिशीलता वाले शहरों का अनुपात।
- 4. एकीकृत विकास योजनाओं वाले शहरों का अनुपात।
- 5. प्रसंस्कृत अपशिष्ट का प्रतिशत।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाले शहरों की संख्या।
- **6a).** ठोस अपशिष्ट उपचार का कुल उत्पन्न अपशिष्ट से प्रतिशत।
- 7. कुल शहरी स्थानीय निकायों के सापेक्ष कचरा उपचार करने वाले निकायों का प्रतिशत।
- शहरी स्थानीय निकायों में प्लास्टिक प्रतिबंध प्रतिशत।
- 9. शहरी इलाकों में ठोस अपशिष्ट का उपचार प्रतिशत।
- शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिशत जिनमें मल कीचड़
   उपचार संयंत्र सुविधा हो।
- 11. शहरों में वार्षिक औसत सूक्ष्म कणों (PM10) का स्तर।
- 11a). वर्ष में औसत महीन कणों (PM10) से ऊपर स्तर के कण पाये जाने वाले दिनों की संख्या।
- 12. क्या राज्य तथा राज्य के जनपदों में आपदा जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु 2015—2031 के लिए सेंडायी फ्रेम वर्क के अनुरूप न्यूनीकरण नीतियों को अपनाया गया है।
- 12a). आपदा से सम्बन्धित जोखिमों के न्यूनीकरण रणनीतियों को अपनाने/लागू करने वाले स्थानीय निकाय (ग्रामपंचायत/शहरीय निकाय) का अनुपात।







# योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 11 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

### 1. केन्द्र पोषितः

- 1. राजीव आवास योजना (बी०एस०यू०पी० तथा आई०एच०एस०डी०पी०)।
- 2. अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन।
- 3. प्रधान मंत्री आवास योजना।
- स्वच्छ भारत मिशन।
- 5. स्मार्ट सिटी मिशन।
- 6. जियो स्पेटीयल डाटा बेस फॉर ट्यूरिस्ट प्लेसेस।
- 7. दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।

### 2. राज्य सैक्टरः


- 1. उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (UA-URIF)।
- 2. पार्कों की स्थापना।
- 3. यातायात सुधारीकरण प्रबन्धन।
- 4. मासिक पास योजना।
- 5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा सेवा।
- भूमि स्थानान्तरण हेतु कम्प्यूटराईजिंग बुकिंग सिस्टम।
- 7. यातायात तथा सार्वजनिक सुरक्षा।
- बस स्टाप का निर्माण।
- 9. सरलीकृत ऋण सह आवास अनुदान योजना।


## 3. केन्द्र सैक्टरः

- 1. सब ऋतु योग्य सड़कों का निर्माण (आल वेदर रोड़)।
- 2. सेतु भारतम योजना।

## 4. वाह्य सहायतितः

1. एडीबी समर्थित नगरीय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण परियोजना।







# सतत उपभोग व उत्पादन पद्धति सुनिश्चित करना।

- 12.1. विकास व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए संधारणीय उपभोग तथा उत्पादन के लिए 10 वर्षिय फ्रेनवर्क का कार्यान्वयन।
- 12.2. प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन तथा प्रभावी उपयोग हासिल करना।
- 12.3. खुदरा तथा उपभोक्ता खाद्य अपशिष्ट को आधा करना, उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्य पदार्थों को होने वाले तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।
- **12.4.** मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रभाव को न्यूनीकरण करने हेतु रसायनों सहित सभी अपशिष्टों को हवा, पानी व मिट्टी में मिलने की सम्भावना से रोकना तथा ठोस प्रबन्धन करना।
- 12.5. पुनर्चक्रण पुनः उपयोग के द्वारा अपशिष्ट सृजन को कम करना।
- 12.6. कम्पनियों के संधारणीय व्यवहार को अंगीकृत करते हुए संधारणीय सूचना को रिपोर्टिंग साइकिल में शामिल में शामिल करना।
- 12.7. राष्ट्रीय नीति की प्राथमिकताओं के अनुरूप सार्वजनिक खरीदारी व व्यवहारों को बढ़ावा देना।
- 12.8. प्रकृति के अनुरूप सतत् विकास और जीवन शैली सम्बन्धी संगत सूचनाओं से सभी लोगों को जागरूक करना।
  - 12(क) उपयोग व उत्पादन पद्धतियों को अपनाने हेतु वैज्ञानिक व प्रौद्यौगिकीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना।
  - 12(ख) संधारणीय पर्यटन के लिए विकास सम्बन्धी टूल का कार्यान्वयन कर रोजगार सृजित करना एवं स्थानीय संस्कृति और उत्पाद को बढावा देना।
  - 12(ग) कराधान की पुर्नसंरचना के अनुसार बाजार विरूपताओं को समाप्त कर जीवाश्म ईंधन के अपव्यय को चरणबद्ध तरीके से युक्ति संगत बनाना। विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए गरीब व प्रभावित समुदायों के हितों की रक्षा करना।



- 1. उद्यान / बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज / सीए भण्डारण क्षमता।
- 2. केन्द्रीय / राज्य पूल के भण्डार क्षमता से गेंहू व चावल का वितरण घाटा।
- 3. केन्द्रीय / राज्य पूल के भण्डार से खाद्यान्नों का वितरण घाटा।
- औद्यौगिकीकरण से उत्पन्न तरल अपशिष्ट का उपचार निस्तारण।
- 5. खतरनाक रसायनों व कचरे के लिए नीति का विकास करना।
- 6. म्यूनिसिपल अपशिष्ट प्रबंधन तथा कूड़ा कचरा एकत्रीकरण, पृथकीकरण व परिवहन की व्यवस्था सहित शहरी घरों / परिवारों का प्रतिशत।
- 7. शून्य रसायनिक प्रवाह वाले उद्योगों की संख्या।
- 8. जीवाश्म ईधन (एल.पी.जी. व कैरोसीन) की खपत के अनुसार प्रति व्यक्ति अनुदान।
- 10. जीवाश्म ईंधन की खपत पर प्रति यूनिट कर।



## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 12 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।

- 1. केन्द्र पोषितः
  - 1. बायो-पयुल हेत् राष्ट्रीय नीति।
  - 2. राष्ट्रीय स्वच्छ भारत फंड (एन०सी०एफ०)।
  - 3. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड।
  - 4. नवीकरणीय ऊर्जा के उन्नयन के लिए सार्वभोमिक इंवेस्टमेंट।
  - 5. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।

### 2. राज्य सैक्टरः

- 1. ग्रामीण खाद्यान्न गोदाम भण्डारों का निर्माण।
- 2. आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना।










## जलवायु परिवर्तन एवं इनके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना।

### लक्ष्य

- 13.1. जलवायु सम्बन्धी जोखिमों व आपदाओं से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाना।
- 13.2. राष्ट्रीय नीति के अनुसार आयोजना में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना।
- 13.3. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रभाव, शीघ्र चेतावनी सम्बन्धी शिक्षा, जागरूकता वृद्धि और मानवीय व संस्थानिक क्षमता को बढ़ाना।
  - 13(क) संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन प्रतिबद्धता के अनुसार सार्थक न्यूनीकरण कार्यवाही, हरित जलवायु निधि का पूर्णतः प्रचालन या कार्यान्वयन।
  - 13(ख) प्रभावी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी योजना प्रबन्धन क्षमता वृद्धि के उपायों में महिलाओं, पुरूष व स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना।



## संकेतक

- 1. आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में जागरूकता चलाये जाने वाले स्कूलों की संख्या
- 2. आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों पर प्रशिक्षित समुदायों की संख्या
- 3. उन न्याय पंचायतों की संख्या जिनमे आपदा न्यूनीकरण की टीमें बनायी गई थी
- 4. संचालित मौसम स्टेशन

## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 13 को प्राप्त करने हेतु मुख्य योजनायें।


- 1. केन्द्र पोषितः
- 1. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
- 2. राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन
- 3. राष्ट्रीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि मिशन
- 4. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेवल हेबिटेट
- 5. राष्ट्रीय जल मिशन
- 6. हिमालयन ईको- सिस्टम के लिए सतत् राष्ट्रीय मिशन

- 7. सतत् कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
- 8. जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान हेतु राष्ट्रीय मिशन
- 9. जलवायु परिवर्तन तथा सूचना तंत्र
- 10. आपदा प्रबन्धन
- 11. रिमोर्ट सेंसिंग व जी०आई०एस०उपयोग से रिस्पना राव वाटर सेड चैनल



स्थलीय इकोसिस्टम का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, सतत् वन प्रबंधन, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना।

- 15.1. अर्न्तराष्ट्रीय करारों के दायित्वों के तहत वनों, आर्द्र क्षेत्रों, पर्वतों, शुष्क भूमि में भौमिक तथा अर्न्तदेशीय मीठे जल एवं पारिस्थिकी का संरक्षण, पुर्नउद्धार और संधारणीय उपयोग सुनिश्चत करना।
- 15.2. सभी प्रकार के वनों का संधारणीय प्रबन्धन / कार्यान्वयन, वनोन्मूलन रोकना अवक्रमित वनों का पुनर्निर्माण व वनीकरण में पुनः वृद्धि करना।
- 15.3. मरूरथलीय, सूखा और बाढ़ प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि पर मृदा का पुनर्रोद्धार करने का प्रयास करना।
- 15.4. पर्वतीय इकोसिस्टम के दृष्टिगत क्षमता बढ़ाने के लिये जैव विविधता सहित संरक्षण सुनिश्चित करना।
- 15.5. अनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वालों लाभों में न्याय संगत साझेदारी सुनिश्चित करना।
- 15.6. वनस्पति व संरक्षित वन्य जीवों / प्रजातियों के अवैध शिकार व बिक्री रोकने के लिए तत्कालिक उपाय करना।
- 15.7. थल व जल परितंत्रों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की रोकथाम तथा प्राथमिकता प्राप्त प्रजातियों पर नियंत्रण रखना।
- 15.8. गरीबी को कम करने के लिए स्थानीय भोजन विकास प्रक्रिया में जैव विविधता व जैविक प्रणाली का एकीकरण करना।
  - 15(क) जैव विविधता व पारिस्थिकी का संरक्षण व सतत् उपयोग हेतु वित्तीय संसाधनों को जुटाने में व्यापक वृद्धि करना।
  - 15(ख) संधारणीय वन प्रबन्धन के वित्त पोषण हेतु सभी स्रोतों से संसाधन जुटाते हुए पुनः वनीकरण के प्रबन्धों का उन्नयन करना।
  - 15(ग) स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ा कर संरक्षित प्रजातियों को अवैध शिकार व बिक्री रोकना।



- वनों के अन्तर्गत शामिल भूमि का कुल भूमि से प्रतिशत।
- 2. वनों से बाहर वृक्षों का कुल वन क्षेत्र से प्रतिशत।
- वन क्षेत्रों में परिवर्तन।
- वन क्षेत्र से बाहर कुल वृक्षों का क्षेत्रफल।
- वन पंचायतों के अन्तर्गत वनों का क्षेत्रफल।
- 6. विभिन्न योजनाओं में शामिल (नमामि गंगे सहित) वनीकरण का क्षेत्रफल।
- 7. बाढ़ से बचाव से सम्बन्धित कार्य (चेक डेम सहित)।
- 8. 2005—15 तक वन क्षेत्रों में जल निकायों में परिवर्तन (प्रतिशत में)।
- 9. 5 वर्ष की अवधि में जंगली हाथी की अनुमानित संख्या में परिवर्तन का प्रतिशत।
- पर्वतीय क्षेत्रों में वन / वनास्पतिक के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र में वृद्धिदर।
- 11. जैव विविधता और ईको सिस्टम के संरक्षण व संवहनीय विकास के लिए सार्वजनिक व्यय एवं सहायता।
- 12. पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कुल उपयोग में लाई गई निधि का प्रतिशत।
- 13. अवैध रूप से शिकार किए गए व तस्करी किए जा रहे वन्य जीवों की पहचान व रोकथाम।


## योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 15 को प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित मुख्य योजनायें।

- 1. केन्द्र पोषितः
  - 1. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया मिशन)।
  - 2. वन विकास।
  - 3. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम।
  - 4. राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन।
  - 5. इंटेन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मेनेजमेंट।
  - 6. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलागम विकास घटक)।







### 2. राज्य सैक्टरः

- 1. जंगली जीवों के वास स्थलों का विकास।
- 2. वनीकरण पूरकता कार्यक्रम।
- 3. ईको संवेदनशील जोन का चिन्हीकरण।
- 4. वन्य जीव परिरक्षण बचाव हेतु प्राणी उद्यान केन्द्र स्थापना।
- इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाईफ हेविटेट।
- 6. प्रोजेक्ट टाईगर।
- औषधीय पौधों / वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्द्धन।
- 8. बहुउद्देशीय वनीकरण का संरक्षण।
- 9. बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन।
- 10. हमारा पेड़-हमारा धन।
- 11. हमारा स्कूल-हमारा वृक्ष।
- 12. नर्सरी विकास।
- 13. टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण।
- 14. भू-क्षरण की रोकथाम।
- 15. हरेला योजना के अन्तर्गत पौध वितरण।
- 16. वनाग्नि की रोकथाम।
- 17. वन पंचायतों में वनाग्नि की रोकथाम।
- 18. इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज।
- 19. ईको टूरिज्म योजना।
- 20. ग्रामीण ईको टूरिज्म।
- 21. वन मोटर मार्गों का सुधारीकरण।







## बाह्य सहायतितः

- बायोडाईवार्सिटी कन्जरवेशन एण्ड रूरल लाईवलीहुड इम्प्रवमेंट प्रोजेक्ट।
- उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जाईका पोषित)।
- विश्व बैंक पोषित विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना।



सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

- 16.1. सभी प्रकार की हिंसा व सम्बन्धित मृत्यु दरों में व्यापक कमी करना।
- 16.2 बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, शोषण, अवैध बेचने व सभी प्रकार के हिंसक उत्पीड़न को समाप्त करना।
- 16.3 कानून के अनुसार सभी को समान न्याय सुनिश्चित करना।
- 16.4 वित्तीय प्रसार व अवैध हथियार के व्यापार में व्यापक कमी करना व चोरी की सम्पत्ति बरामद कर वापस करना। सभी प्रकार के संगठित अपराधों से निपटना।
- 16.5 सभी प्रकार के भ्रष्टाचार व रिश्वत में व्यापक कमी करना।
- 16.6 प्रभावी जवाबदेह व पारदर्शी संस्थानों का विकास करना।
- 16.7 समावेशी अनुक्रियाशील सहभागी व प्रतिनिधिक निर्णय सुनिश्चित करना।
- 16.8 वैश्विक शासन वाली संस्थाओं में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाना व सुदृढ़ करना।
- 16.9 जन्म पंजीकरण सहित सभी वैधानिक पहचान उपलब्ध कराना।
- 16.10 मौलिक स्वतंत्रता संरक्षण करना तथा जनसूचना उपलब्ध कराना।
  - 16(क) हिंसा रोकने, आतंकवाद व अपराध से निपटने के लिए क्षमता निर्माण कर संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
  - 16(ख) संधारणीय विकास के लिए भेदभाव रहित कानूनों और नीतियों का प्रवर्तन व संवर्धन करना।






- 1. प्रतिलाख जनसंख्या पर हत्या के मामले।
- 2. प्रति लाख जनसंख्या पर बच्चों के सम्बन्ध में संज्ञान मे आये अपराध के मामले।
- 3. प्रति लाख जनसंख्या पर सेक्स, उम्र व शोषण के रूप में मानव तस्करी से शिकार व्यक्तियों की संख्या।
- 4. हिंसा के मामलों में चार्जशीट आरोपित मामलो का प्रतिशत।
- मृत्यु के मामले में चार्जशीट आरोपित मामलों का प्रतिशत।
- 6. अनुसूचित जाति समूह के मामलों में चार्जशीट आरोपित मामलों का प्रतिशत।
- 7. पास्को मामलों की संख्या।
- 8. बच्चों के लापता होने के मामले के सापेक्ष बरामदगी का प्रतिशत।
- 9. प्रति लाख जनसंख्या पर अदालतों की संख्या।
- 10. अदालतों में कुल मामलों के सापेक्ष 5 से अधिक वर्ष तक लम्बित मामलों का प्रतिशत।
- 11. प्रति लाख जनसंख्या पर भ्रष्टाचार युक्त अपराध से सम्बन्धित अनुमानित मामले।
- 12. जिलेवार प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार युक्त अपराध से सम्बन्धित मामले।
- 13. भारतीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम औार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबधित धाराओं के तहत अपराधों के तहत कुल संज्ञान में आये अपराध मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति।
- 14. ई-प्लेटफार्म पर सेवाओं का प्रतिशत।
- 15. पंजीकृत जन्म प्रतिशत में।
- 16. 21 दिनों में जन्म पंजीकरण का प्रतिशत।
- 17. आधार के माध्यम से प्रदत्त सेवाएं।
- 17a). आधार के अन्तर्गत शामिल जनसंख्या का अनुपात।

# योजनाएं एवं कार्यक्रम

## लक्ष्य सं0 16 को प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित मुख्य योजनायें।



## 1. केन्द्र पोषितः

- न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास।
- 2. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)।
- 3. आधार (AADHAR)
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)।
- 5. पुलिस फोर्स सेवाओं का आधुनिकीकरण।

## 2. राज्य सैक्टरः

1. सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन।





# कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैधिवक भागीदारी सुनिधिवत करना।

#### लक्ष्य

#### वित्त

- 17.1. राज्य में कर एवं अन्य राजस्व संग्रह करने हेतु विभिन्न घरेलू संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।
- 17.2. विकास हेत् सहायता में 0.7 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय आय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन करना।
- 17.3. विभिन्न स्रोतों से, अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।
- 17.4. ऋण वित्त पोषण को प्रोत्साहन, ऋण राहत तथा नीतियों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण संधारणीयता हासिल करना।
- 17.5. निवेश संवर्द्धन व्यवस्था को अपनाना और कार्यवाही में करना।

### पौद्योगिकी

- 17.6. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव प्रर्वतन की उपलब्धता बढाना।
- 17.7. पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी के विकास, अंतरण को प्रचार-प्रसार को बढावा देना।
- 17.8. प्रौद्योगिकी एवं नव प्रवंतन क्षमता निर्माण को प्रचालित करते हुए प्रौद्योगिकी उपयोग वृद्धि करना।

#### क्षमता निर्माण

17.9 सतत् विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी क्षमता निर्माण को कार्यान्वित करना।

#### व्यवसाय

- 17.10 भेदभावरहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यावसाय प्रणाली को बढ़ावा देना।
- 17.11 राज्य में निर्यात में प्रयाप्त वृद्धि करना।
- 17.12 विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप दीर्घकालिक आधार पर शुल्क—मुक्त और कोटा—मुक्त बाजार उपलब्धता का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

### नीतिगत और संस्थागत सामंजस्य

- 17.13 नीतिगत समन्वय और सामजस्य से राज्य में आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि करना।
- 17.14 सतत् विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाना।
- 17.15 गरीबी उन्मूलन एवं सतत् विकास हेतु नीतियाँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिये नीतिगत गुंजाईश और नेतृत्व का आदर करना।

### बहु वितधारक साझेदारी

- 17.16. सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायता के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकीय एवं वित्तीय संसाधन जुटाना।
- 17.17 सार्वजनिक व निजी तथा सिविल सोसायटी में भागदारी को प्रोत्साहित करना।

### डाटा, अन्वेशण, जवाबदेही

- 17.18.उच्च गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और विश्वसनीय डाटा में पर्याप्त बढोतरी करने के लिए राज्य में क्षमता निर्माण करना।
- 17.19 सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने और सांख्यिकी क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु सतत् विकास संबंधी सूचकांकों के लिये मौजूदा प्राथमिकताओं का सुदृढ़ीकरण करना।





## संकेतक

- 1. राज्य सकल घरेलू उत्पाद / जिला घरेलू उत्पाद का घरेलू करों से।
- 2. जीएसडीपी / डीडीपी।
- 3. राजस्व अधिशेष घाटा।
- 4. जीएसडीपी / डीडीपी के लिए राजकोषीय घाटा।
- 5. ऋण की औसत लागत।
- 6. सार्वजनिक ऋण पर राजस्व प्राप्ति पर भुगतान।
- 7. राजस्व प्राप्ति के लिए सार्वजनिक ऋण का अंश।
- 8. सकल घरेलू उत्पाद / जिला घरेलू उत्पाद में कर का अंश।
- 9. सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी व आन्तरिक ऋण सेवा का प्रतिशत।
- 10. इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का अनुपात।







उत्तराखण्ड सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेन्स कक्षा संख्या ४०३, विश्वकर्मा भवन ४ सुभाष मार्ग, उत्तराखण्ड सविवालय, देहरादून-२४८००१